



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

थाना-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़

☐ जान से मारने की नियत से पत्नी को फांसी पर लटकाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ थाना निजामाबाद पुलिस ने वांछित अभियुक्त को मोलनापुर नहर पुलिया से किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 23.09.2026 को वादिनी शशिकला पत्नी राकेश यादव निवासी बुद्धसेनपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गयी कि उसके पति राकेश यादव पुत्र मुन्ना उर्फ मुन्नीलाल यादव द्वारा दिनांक 09.09.2026 को रात्रि करीब 09:00 बजे उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से फांसी पर लटका दिया गया। जिसके आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 238/2026 धारा 85, 109(1), 115(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 24.09.2026 को उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र मुन्ना उर्फ मुन्नीलाल, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी बुद्धसेनपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को मोलनापुर नहर पुलिया से समय करीब 07:35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- राकेश यादव पुत्र मुन्ना उर्फ मुन्नीलाल यादव, निवासी बुद्धसेनपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 238/2026 धारा 85, 109(1), 115(2) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 138/2021 धारा 147, 149, 323, 325, 352, 427, 504, 506 भादवि, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह, का0 धर्मवीर प्रजापति, रि0का0 अभिषेक पटेल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़

□ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने का आरोपी
गिरफ्तार

□ न्यायालय से NBW प्राप्त कर मुम्बई से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर आजमगढ़ लाया गया अभियुक्त

पूर्व की घटना- दिनांक 04.07.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्त तारकेश्वर यादव पुत्र रामसूरत यादव निवासी डूंगरपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया, वादिनी के गर्भवती हो जाने पर अभियुक्त ने उसकी बिना सहमति के गर्भपात करा दिया तथा खेत अपने नाम कराने के बाद शादी करने की बात कही गयी और खेत नाम न करने पर वादिनी के अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने की धमकी दी जिसके आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 179/2026 धारा 69, 89 बीएनएस एवं 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के आदेश के अनुपालन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही थी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय से NBW प्राप्त कर तकनीकी माध्यम से उसकी लोकेशन प्राप्त की गयी, जो मुम्बई स्थित साकीनाका क्षेत्र में प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से उ0नि0 अनुराग पाण्डेय, उ0नि0 सुमित सिंह एवं म0का0 नारायणी तिवारी द्वारा अभियुक्त तारकेश्वर यादव को दिनांक 21.09.2026 को मुम्बई से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराकर मा0 न्यायालय, कोर्ट नं0 66, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से दिनांक 22.09.2026 को ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त को आजमगढ़ ले आया गया। दिनांक 24.09.2026 को अभियुक्त को थाना रौनापार ले आकर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 179/2026 धारा 69, 89 बीएनएस एवं 67 आईटी एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- तारकेश्वर यादव पुत्र रामसूरत यादव, निवासी डूंगरपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, हालपता मुरंचन चाल, कैलाश नगर, साकी बिहार रोड, पवई, मुम्बई (महाराष्ट्र), उम्र करीब 51 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनुराग पाण्डेय, उ0नि0 सुमित सिंह, थाना रौनापार, म0का0 नारायणी तिवारी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-24.09.2026

थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़

□ नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना मुबारकपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त को दरियाबाद पुल के पास से किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 03.09.2026 को वादी मुकदमा कमल दीप पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम जलालपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी भान्जी दिनांक 28.08.2026 को राखी बांधने के लिए उनके घर आयी थी। दिनांक 31.08.2026 को वह स्कूल जाने की जिद करते हुए घर से निकल गयी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जानकारी करने पर पता चला कि ग्राम इब्राहिमपुर (भलवरिया), थाना मुबारकपुर निवासी बृजेश कुमार पुत्र दुर्गविजय उसे रास्ते से बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 0322/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।
दौरान विवेचना अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 24.09.2026 को उ0नि0 रूपम वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र दुर्गविजय, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को दरियाबाद पुल के पास से समय करीब 11:05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त– बृजेश कुमार पुत्र दुर्गविजय, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0- 0322/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 रूपम वर्मा, का0 उमेश सिंह, का0 उदयनाथ पासवान, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-24.09.2026

थाना-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़

□ फर्जी रजिस्ट्री व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि हड़पने के मामले में गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त मो0 हैदर गिरफ्तार

□ थाना जीयनपुर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को चुनहवा चौराहा के पास से किया गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 07.04.2025 को वादी मुकदमा गौतम प्रसाद चौरसिया पुत्र स्व0 रामायन चौरसिया निवासी नगर पंचायत जीयनपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि विपक्षीगण मो0 हैदर, अशहद व मो0 आजम द्वारा फर्जी व्यक्ति खड़ा कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करायी गयी। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 130/2025 धारा- 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 13.09.2026 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 23.09.2026 को थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 391/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में निरीक्षक अपराध शम्भूनाथ यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 23.09.2026 को मालटारी में संदिग्ध

व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मो० हैदर पुत्र निजामुद्दीन निवासी रौजा सैफन पट्टी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को चुनहवा चौराहा के पास से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- मो० हैदर पुत्र निजामुद्दीन निवासी रौजा सैफन पट्टी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 391/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 17/2016 धारा 147, 427, 504, 506 भादवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 130/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 391/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. नि०अ० शम्भूनाथ यादव, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का० अजय कुमार प्रथम, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का० बुटाई शाह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
4. रि०का० प्रशान्त सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
5. रि०का० मो० शाहिद, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-24.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविकशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 50000 /-(पचास हजार) रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया। थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें 01 आरोपी अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50000 /-(पचास हजार) रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

→ दिनांक-08.03.2013 को वादी मुकदमा विन्ध्याचल सिंह पुत्र स्व० नरसिंह सिंह निवासी हंसराजपुर, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त अवनीश सिंह पुत्र स्व० परसन सिंह निवासी इस्माईलपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ से अपनी पुत्री अर्चना सिंह की शादी किये थे उसने घरेलू विवाद के कारण उनकी पुत्री अर्चना को मारपीट कर हत्या कर दिया है।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु०अ०सं०-122/2013 धारा-302,34 भादवि पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए हैं।

→ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.09.2026 को मा० न्यायालय ए०एस०जे०/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं०-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवनीश सिंह पुत्र स्व० परसन सिंह निवासी इस्माईलपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 50000 /-(पचास हजार) रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना महाराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें 02 अभियुक्तगण गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 55-55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक- 18.06.2020 को वादी मुकदमा श्री दिलीप मौर्य पुत्र रामबद मौर्य निवासी ग्राम चौकना रामचन्दर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- अजय मौर्या पुत्र सीताराम 2- सुशीला देवी पत्नी सीताराम निवासीगण ग्राम चौकना रामचन्दर थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थी की माता भागमती देवी को मकान के पानी बहने की बात को लेकर लाठी डण्डे व लोहे की राड से मारपीट कर गम्भीर रूप से चोटिल कर देना व ईलाज के दौरान वादी की माती की मृत्यु हो जाना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0-155/2020 धारा-304(2),34,504 भादवि पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए हैं।

→ जिसके क्रम में दिनांक-24.09.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो/गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- अजय मौर्या पुत्र सीताराम 2- सुशीला देवी पत्नी सीताराम निवासीगण ग्राम चौकना रामचन्दर थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष को कठोर कारावास व 55-55 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 0 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ 586 ग्राम गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली पर पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ 586 ग्राम गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक- 08.05.2013 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त ज्ञानप्रकाश उर्फ जयप्रकाश पुत्र शीतला प्रसाद पाठक निवासी कोलपाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 586 ग्राम गांजा बरामद होना।

→ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 554/2013 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए हैं।

→ जिसके क्रम में दिनांक- 24.09.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ज्ञानप्रकाश उर्फ जयप्रकाश पुत्र शीतला प्रसाद पाठक निवासी कोलपाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (04 वर्ष 04 माह) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मेहनगर में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र व कारतूस रखने के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (04 वर्ष 04 माह) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक-13.05.2022 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष श्री बसन्त लाल तत्कालीन थानाध्यक्ष मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित फर्द दी कि अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र राजनरायण सिंह निवासी ग्राम गंजोर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 02 अदद पिस्टल व 04 कारतूस बरामद होना।

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0-150/2022 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

जिसके क्रम में दिनांक-24.09.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो/गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र राजनरायण सिंह निवासी ग्राम गंजोर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (04 वर्ष 04 माह) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 24.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना महाराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें दहेज हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक-10-06.2025 7 को वादी मुकदमा श्री राममिलन मौर्य पुत्र स्व0 रामबहाल मौर्य निवासी ग्राम मुबारकपुर, पिकार, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- राहुल मौर्य पुत्र रामकुशल मौर्य पुत्र स्व0 खेलावन मौर्य 3- राजपति देवी पत्नी रामकुशल मौर्य निवासीगण शिवपुर, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री सोनी को फांसी लगाकर हत्या कर देना।

→ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0- 171/2025 धारा-80(2)85 BNS व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमे उपरोक्त में 12 गवाहों को परीक्षित कराया गया।

→ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.09.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- राहुल मौर्य पुत्र रामकुशल मौर्य पुत्र स्व0 खेलावन मौर्य 3- राजपति देवी पत्नी रामकुशल मौर्य निवासीगण शिवपुर, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।